

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 29-12-14

सं०-14/प्रो० 112/2014-सा०प्रो०- 17899 / वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक - 14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने आंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० | पदाधिकारी का नाम | कोटि क्रमांक (वर्ष 2011) | द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि |
|------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रशीद अहमद, | 562 | 23.05.12 |
| 2 | श्री अमरेन्द्र कुमार, | 563 | 18.5.12 |
| 3 | श्री कंचन कपूर, | 564 | 22.6.12 |
| 4 | श्री विजय कुमार सिंह, | 568 | 18.5.12 |
| 5 | श्री पंकज कुमार, | 570 | 18.5.12 |
| 6 | श्री अरविन्द कुमार झा, | 572 | 20.5.12 |
| 7 | श्री स्वयम्भू प्रिय, | 573 | 18.5.12 |
| 8 | श्री एस० एम० कैसर सुल्तान, | 574 | 18.5.12 |
| 9 | श्री मिथिलेश कुमार साहू, | 576 | 18.5.12 |
| 10 | श्री धीरेन्द्र कुमार झा, | 578 | 18.5.12 |
| 11 | श्री कौशलेंद्र सिंह, | 580 | 18.5.12 |
| 12 | श्री आशुतोष कुमार वर्मा, | 581 | 02.6.12 |
| 13 | श्री अमजद अली, | 583 | 25.3.12 |
| 14 | श्री दुर्गानन्द झा, | 584 | 05.6.12 |
| 15 | श्री अनिल कुमार, | 585 | 18.5.12 |
| 16 | श्री सुशील कुमार, | 586 | 18.5.12 |

1934

| | | | |
|----|---------------------------------|-----|----------|
| 17 | डॉ० रवीन्द्र नाथ, | 587 | 18.5.12 |
| 18 | श्री रामशंकर, | 588 | 18.5.12 |
| 19 | श्री विनय कुमार, | 590 | 18.5.12 |
| 20 | श्री राजेश चौधरी, | 592 | 18.5.12 |
| 21 | मो० अफजालुर रहमान, | 593 | 10.7.12 |
| 22 | श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, | 597 | 18.5.12 |
| 23 | श्री शिवनारायण सिंह, | 598 | 20.5.12 |
| 24 | श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा, | 601 | 21.9.12 |
| 25 | मो० खबीर, | 602 | 18.5.12 |
| 26 | श्री रत्नेश झा, | 604 | 12.11.12 |
| 27 | श्री यशस्पति मिश्र, | 605 | 07.5.12 |
| 28 | श्री उमेश सिंह, | 606 | 12.5.12 |
| 29 | श्री सर्वनारायण यादव, | 608 | 18.5.12 |
| 30 | श्री बिनोदानन्द झा, | 609 | 05.5.12 |
| 31 | श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, | 611 | 08.5.12 |
| 32 | श्री दिनेश कुमार राय, | 612 | 18.5.12 |
| 33 | श्री अरुण कुमार ठाकुर, | 617 | 18.6.12 |
| 34 | श्री मिर्जा आरिफ रजा, | 618 | 18.5.12 |
| 35 | श्री अशोक कुमार-1, | 621 | 18.5.12 |
| 36 | मो० नैयर एकबाल, | 624 | 18.5.12 |
| 37 | मो० युनूस, | 628 | 24.10.12 |
| 38 | श्री कपिलेश्वर मंडल, | 631 | 18.5.12 |
| 39 | श्रीमती वीणा प्रसाद, | 637 | 18.5.12 |
| 40 | श्री प्रमोद कुमार, | 640 | 18.5.12 |
| 41 | श्री हरिनारायण पासवान, | 641 | 25.5.12 |
| 42 | श्री अवधेश राम, | 643 | 19.5.12 |


मि० अ०

| | | | |
|----|---------------------|-----|---------|
| 43 | श्री जवाहर प्रसाद, | 645 | 22.5.12 |
| 44 | श्री अशोक कुमार झा, | 646 | 18.5.12 |
| 45 | श्री प्रभात कुमार, | 649 | 18.5.12 |
| 46 | श्री अरशद फिरोज, | 650 | 09.9.12 |

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्र० 112/2014-सा०प्र०-17899/ पटना-15, दिनांक-29-12-14

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना /मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक-23.12.2014 के मद सं० 09 के आलोक में विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को/ प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना /सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2. महालेखाकार, बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय ।


सरकार के उप सचिव